नवसर्जन संस्कृति

RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 334
दि. 07.04.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

यूपी के युवाओं का 'दिव्यास्त्र' बनेगा नई ताकत: 500 किमी तक सटीक प्रहार करने वाला एआई ड्रोन तैयार, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप क्रांति की मजबूत आहट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उभरते डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और स्टार्टअप संस्कृति ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि देश के युवा अब केवल तकनीक के उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और नवाचार के अगुआ बन चुके हैं। राजधानी लखनऊ के एक निजी स्टार्टअप 'हॉवरिट' द्वारा विकसित "दिव्यास्त्र एमके-1" एडवांस्ड यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल) इसी बदलाव का प्रतीक बनकर सामने आया है। यह ड्रोन न केवल निगरानी बल्कि सटीक स्ट्राइक की क्षमता से लैस है, जो आधुनिक युद्ध और सुरक्षा रणनीतियों में भारत की ताकत को नए स्तर पर ले जाने की क्षमता रखता है।

तीन युवा उद्यमियों—पवन, रविंद्र पाल सिंह और सौरभ सिंह—द्वारा स्थापित इस स्टार्टअप ने जिस तकनीकी दक्षता और दूरदृष्टि के साथ "दिव्यास्त्र एमके-1" को विकसित किया है, वह इसे पारंपरिक ड्रोन सिस्टम से अलग बनाता है। कंपनी के अनुसार यह यूएवी लगभग 500 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज के साथ 5 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसकी सर्विस सीलिंग 10,000 फीट है, जो इसे ऊंचाई पर सुरक्षित और प्रभावी ऑपरेशन करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा 15 किलोग्राम तक पेलोड वहन करने की क्षमता इसे एक मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म में बदल देती है, जो जरूरत के अनुसार निगरानी, सप्लाई और स्ट्राइक तीनों कार्य कर सकता है।

इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसका एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम है। आधुनिक युद्ध में जहां सटीकता और समय की अहमियत सबसे ज्यादा होती है, वहां "दिव्यास्त्र एमके-1" अपने सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लक्ष्य को पहचानने और उस पर सटीक प्रहार करने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम न केवल मानव हस्तक्षेप को कम करता है, बल्कि जोखिम को भी घटाता है और मिशन की सफलता की संभावना को बढ़ाता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के स्वदेशी ड्रोन भविष्य में भारतीय सेना के ऑपरेशनों में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।

लागत के लिहाज से भी यह ड्रोन बेहद महत्वपूर्ण है। जहां पारंपरिक सैन्य ड्रोन अत्यधिक महंगे होते हैं और उनके रखरखाव में भी भारी खर्च आता है, वहीं "दिव्यास्त्र एमके-1" को किफायती तरीके से डिजाइन किया गया है। इससे न केवल रक्षा बजट पर दबाव कम होगा, बल्कि बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात करने की रणनीति को भी बल मिलेगा। स्टार्टअप का दावा है कि उन्हें भारतीय सेना के लिए सप्लाई की दिशा में शुरुआती ऑर्डर भी प्राप्त हो चुके हैं, जो इस तकनीक की विश्वसनीयता और उपयोगिता को दर्शाता है।

इस उपलब्धि के पीछे उत्तर प्रदेश सरकार की डिफेंस कॉरिडोर पहल और स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों की भी अहम भूमिका है। राज्य में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर ने युवाओं को एक ऐसा मंच दिया है, जहां वे अपने विचारों को वास्तविक उत्पादों में बदल सकते हैं। 'हॉवरिट' अब इसी कॉरिडोर में अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर रहा है, जहां प्रति माह लगभग 20 ड्रोन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। यह न केवल तकनीकी विकास को गति देगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा।

कंपनी भविष्य में "दिव्यास्त्र एमके-2" पर भी काम कर रही है, जो वर्तमान मॉडल से कई गुना अधिक उन्नत होगा। प्रस्तावित एमके-2 संस्करण की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर और पेलोड क्षमता 80 किलोग्राम तक होगी। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो भारत की ड्रोन तकनीक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो जाएगी। इससे देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को भी बड़ा बल मिलेगा।

इसके अलावा, स्टार्टअप ने विभिन्न सैन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य यूएवी प्लेटफॉर्म भी विकसित किए हैं। इनमें निगरानी के लिए "आंख" ड्रोन, मध्यम पेलोड क्षमता वाला "बाज" ड्रोन, बम गिराने में सक्षम स्ट्राइक प्लेटफॉर्म, वीटीओएल तकनीक आधारित यूएवी, डिकॉय ड्रोन और आईएसआर (इंटेलिजेंस, सर्विलांस, रिकॉन) सिस्टम शामिल हैं। यह विविधता दर्शाती है कि कंपनी केवल एक उत्पाद तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जहां ड्रोन और एआई आधारित सिस्टम निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। यूक्रेन-रूस युद्ध से लेकर मध्य-पूर्व के संघर्षों तक, ड्रोन तकनीक ने युद्ध की रणनीतियों को पूरी तरह बदल दिया है। ऐसे में भारत के लिए स्वदेशी ड्रोन तकनीक का विकास न केवल रणनीतिक जरूरत है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

"दिव्यास्त्र एमके-1" जैसे नवाचार यह संकेत देते हैं कि भारत अब रक्षा तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं का यह प्रयास न केवल राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को बदल रहा है, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। यह साबित करता है कि सही नीतियों, संसाधनों और समर्थन के साथ भारतीय युवा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली तकनीक विकसित कर सकते हैं।

आने वाले समय में यदि इस तरह के स्टार्टअप को निरंतर समर्थन मिलता रहा, तो भारत न केवल अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। "दिव्यास्त्र" केवल एक ड्रोन नहीं, बल्कि उस बदलते भारत का प्रतीक है, जो तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भरता के दम पर दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है।

ईरान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले, कई शहरों में तबाही—25 से अधिक की मौत, हालात बेहद तनावपूर्ण

तेहरान। मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष ने सोमवार को एक और खतरनाक मोड़ ले लिया, जब इजरायल और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई में ईरान के कई प्रमुख शहरों पर रातभर भीषण हवाई हमले किए गए। इन हमलों में अब तक 25 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमलों की तीव्रता और व्यापकता ने पूरे क्षेत्र में भय और अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया है। तेहरान समेत कई शहरों में रातभर धमाकों की गूंज सुनाई देती रही, जिससे आम नागरिकों में दहशत फैल गई।

रिपोर्टों के अनुसार, रविवार देर रात से शुरू हुआ यह हमला सोमवार सुबह तक लगातार जारी रहा। अहवाज, बंदर लेंगेह, करज और शिराज जैसे रणनीतिक और आबादी वाले शहरों को निशाना बनाया गया। बंदर लेंगेह और कोंग में हुए हमलों में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 से अधिक लोग घायल हुए। राजधानी तेहरान में हालात और भी भयावह रहे, जहां आजादी स्क्वायर के पास एक बड़े विस्फोट के बाद आसमान में घना काला धुआं फैल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलों के दौरान कई घंटों तक लड़ाकू विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते रहे, जिससे लोगों में और अधिक दहशत फैल गई। तेहरान के दक्षिण-पश्चिम में स्थित इस्लामशहर के पास हुए एक बड़े हवाई हमले

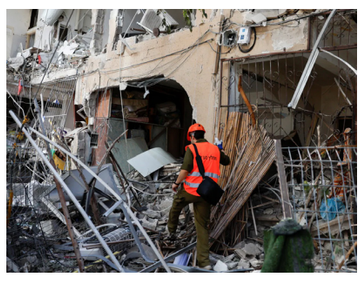

में 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा कोम शहर के एक रिहायशी इलाके में पांच लोगों की जान चली गई, जबकि अन्य शहरों में भी अलग-अलग हमलों में कई लोगों की मौत हुई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक, राजधानी में एक आवासीय भवन पर हमले में तीन और लोगों की मौत हो गई। इन हमलों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब निशाना केवल सैन्य ठिकाने ही नहीं, बल्कि नागरिक इलाके भी बनते जा रहे हैं, जिससे मानवीय संकट और गहराता जा रहा है।

हमलों का सबसे बड़ा और रणनीतिक लक्ष्य 'साउथ पार्स' प्राकृतिक गैस क्षेत्र रहा, जो दुनिया के सबसे बड़े गैस भंडारों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र पर बमबारी से न केवल ईरान की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ सकता है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार भी प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमले केवल सैन्य दबाव बनाने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी ईरान को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं।

इसी क्रम में तेहरान स्थित प्रतिष्ठित शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी भी हमलों की चपेट में आ गई। ईरानी मीडिया के अनुसार, यूनिवर्सिटी परिसर की कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही पास स्थित एक प्राकृतिक गैस वितरण केंद्र भी प्रभावित हुआ है। हालांकि, राहत की बात यह रही कि वर्तमान में यूनिवर्सिटी में छात्र मौजूद नहीं थे, क्योंकि युद्ध की स्थिति को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। गौरतलब है कि इस यूनिवर्सिटी पर पहले भी पश्चिमी देशों द्वारा आरोप लगाए जाते रहे हैं कि यह ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी गतिविधियों में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रही है, जिसे ईरान की पैरामिलिट्री फोर्स 'रिवोल्यूशनरी गार्ड' नियंत्रित करती है।

इस संघर्ष का असर केवल ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पड़ोसी लेबनान में भी हिंसा देखने को मिली। बेरूत के पूर्व में स्थित ऐन सादेह शहर में एक अपार्टमेंट पर किए गए हवाई हमले में तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों में लेबनीज फोर्सेज पार्टी के एक स्थानीय अधिकारी, उनकी पत्नी और एक अन्य महिला शामिल हैं। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, हमला जिस मंजिल को निशाना बनाकर किया गया था, उसके नीचे मौजूद लोग भी इसकी चपेट में आ गए। इस घटना के बाद लेबनान में भी तनाव और बढ़ गया है, जहां पहले से ही हिज्बुल्लाह और इजरायल के बीच टकराव जारी है।

अगर पूरे युद्ध की बात करें, तो हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। अब तक ईरान में 1900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि आधिकारिक आंकड़ों में हाल के दिनों में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। लेबनान में भी 1400 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 10 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इस संघर्ष में इजरायल के 11 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि इजरायल में 23 नागरिकों की मौत हुई है। अमेरिका के भी 13 सैनिक इस युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों और वेस्ट बैंक में भी दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

पूरे घटनाक्रम ने यह संकेत दे दिया है कि यह संघर्ष अब सीमित सैन्य कार्रवाई से आगे बढ़कर व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कूटनीतिक समाधान सामने नहीं आया है। जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज, संसद में टकराव के बीच बड़ा घटनाक्रम

नई दिल्ली। देश की चुनावी व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच सोमवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया। यह प्रस्ताव विपक्षी दलों की ओर से लाया गया था, जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता और हालिया चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, प्रारंभिक स्तर पर ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने से सियासी माहौल और अधिक गरमा गया है।

महाभियोग प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई थी, वह अपने आप में महत्वपूर्ण माना जा रहा था। लोकसभा के 130 सांसदों और राज्यसभा के 63 सदस्यों सहित कुल 193 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। 10 पन्नों के विस्तृत नोटिस में सात प्रमुख आरोपों को शामिल किया गया था, जिनमें मुख्य चुनाव आयुक्त के कथित पक्षपातपूर्ण रवैये, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने जैसे गंभीर मुद्दे उठाए गए थे। विपक्ष का आरोप था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के दौरान मतदाता सूची में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां हुईं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हुई। ज्ञानेश कुमार, जो वर्तमान में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, हाल के महीनों में कई कारणों से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं। विपक्षी दलों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पद की निष्पक्षता के अनुरूप काम नहीं किया और कुछ निर्णयों में सत्ताधारी पक्ष को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा। वहीं, सत्तापक्ष और चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक प्रेरित बताया गया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र और संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहा है, और किसी भी प्रकार का पक्षपात का आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है।

राज्यसभा के सभापति द्वारा इस महाभियोग प्रस्ताव को खारिज किए जाने के पीछे प्रक्रियात्मक और कानूनी आधार महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। संसद में किसी संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए न केवल पर्याप्त समर्थन आवश्यक होता है, बल्कि आरोपों का प्रथम दृष्टया ठोस और प्रमाणिक होना भी जरूरी होता है। माना जा रहा है कि सभापति ने उपलब्ध दस्तावेजों और आरोपों की समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि प्रस्ताव आवश्यक मानकों पर खरा नहीं उतरता, जिसके चलते इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को जांच के दायरे से बाहर रखा जा रहा है। वहीं सत्ताधारी पक्ष ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी और इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब देश में चुनावी पारदर्शिता, मतदाता सूची की शुद्धता और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर व्यापक बहस चल रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाना है, उसी को लेकर सबसे ज्यादा विवाद पैदा हुआ है। विपक्ष का दावा है कि इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि यह नियमित और आवश्यक प्रक्रिया है, जिससे चुनाव प्रणाली को मजबूत बनाया जाता है।

महाभियोग प्रस्ताव का खारिज होना केवल एक संसदीय प्रक्रिया का अंत नहीं है, बल्कि यह आने वाले समय में राजनीतिक और संवैधानिक बहस को और तेज कर सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, उनकी जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दे आने वाले समय में भी केंद्र में बने रहेंगे।

कुल मिलाकर, इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखा दिया है कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर संस्थाओं के बीच संतुलन, पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। भले ही महाभियोग प्रस्ताव खारिज हो गया हो, लेकिन इससे उठे सवाल और बहस अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि आने वाले दिनों में और अधिक गहराई से सामने आने की संभावना है।

नालंदा में हथियार तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार एनआईए-एटीएस की ताबड़तोड़ छापेमारी से मचा हड़कंप

पटना/नालंदा। बिहार के नालंदा जिले में सोमवार तड़के उस समय सनसनी फैल गई, जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) की संयुक्त टीमों ने एक बड़े और सुनियोजित ऑपरेशन के तहत एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। सुबह करीब चार बजे शुरू हुई इस कार्रवाई ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी, क्योंकि जिन स्थानों को निशाना बनाया गया, उनमें न केवल संदिग्ध आवासीय परिसर बल्कि लाइसेंसी गन शॉप और ज्वेलरी प्रतिष्ठान भी शामिल थे। यह छापेमारी किसी सामान्य जांच का हिस्सा नहीं, बल्कि एक गहरे और व्यापक हथियार तस्करी नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में उठाया गया अहम कदम मानी जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, लहेरी थाना क्षेत्र के लहेरी मोहल्ला को इस ऑपरेशन का केंद्र बनाया गया, जहां 'पीके गन हाउस' समेत करीब 10 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई। जांच एजेंसियों की टीमों ने इन स्थानों पर मौजूद हथियारों के स्टॉक, उनके लाइसेंस, सीरियल नंबर और खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों का बारीकी से मिलान शुरू किया। हर छोटे-बड़े रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि कहीं लाइसेंस के नाम पर अवैध हथियारों की सप्लाई तो नहीं हो रही थी। इस दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दस्तावेज और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े कागजात भी जब्त किए जाने की बात सामने आ रही है।

इस पूरे ऑपरेशन की सबसे अहम बात यह रही कि इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को पहले से सीमित स्तर पर ही दी गई थी। सुरक्षा और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय एजेंसियों ने इस कार्रवाई

को पूरी तरह नियंत्रित रखा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर स्थानीय स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने के लिए लहेरी थाना के दो अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया। बताया जा रहा है कि करीब 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी और जांच अधिकारी इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जो अलग-अलग टीमों में बंटकर विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर रहे हैं।

यह छापेमारी केवल लहेरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका दायरा चिकसौरा थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव और हिलसा थाना क्षेत्र के राममूर्ति नगर तक भी फैलाया गया। इन सभी स्थानों को जोड़कर देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि जांच एजेंसियां किसी एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति के तहत काम कर रही हैं। हर उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो अवैध हथियारों के निर्माण, भंडारण और आपूर्ति से जुड़ी हो सकती है।

इस कार्रवाई की जड़ें उस मामले से जुड़ी बताई जा रही हैं, जिसमें सोहन कुआं मोहल्ला निवासी मोहम्मद परवेज के पास से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे। जानकारी के अनुसार, उसके पास से करीब 1300 एके-47 राइफल के कारतूस और अन्य आधुनिक हथियारों से संबंधित सामग्री मिली थी, जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया था। इतने बड़े पैमाने पर हथियारों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि यह कोई छोटा या स्थानीय स्तर का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित और सुनियोजित तस्करी नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है।

अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन हथियारों की आपूर्ति कहां से हो रही थी, किन-किन लोगों का इसमें हाथ है, और क्या इसका संबंध किसी अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से भी है। इसके साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि क्या लाइसेंसी दुकानों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए एक कवर के रूप में किया जा रहा था। ज्वेलरी दुकानों पर छापेमारी को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार अवैध धन और हथियारों के लेन-देन को छुपाने के लिए ऐसे व्यवसायों का उपयोग किया जाता है।

पूरे इलाके में इस कार्रवाई के बाद दहशत और चर्चा का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि उनके आसपास इतने बड़े स्तर पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थीं। वहीं, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है, बल्कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, अभी तक अधिकारियों की ओर से इस मामले में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह ऑपरेशन केवल छापेमारी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी, पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई भी तेज होने की संभावना है।

कुल मिलाकर, नालंदा में एनआईए और एटीएस की यह संयुक्त कार्रवाई एक बड़े खतरे को समय रहते काबू में करने की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम मानी जा रही है। अगर इस नेटवर्क की पूरी परतें खुलती हैं, तो यह न केवल बिहार बल्कि देशभर में फैले अवैध हथियार तस्करी के नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता साबित हो सकती है।

2027 में जीत की हैट्रिक का लक्ष्य, भाजपा ने स्थापना दिवस पर भरा जोश-पंकज चौधरी का बड़ा दावा

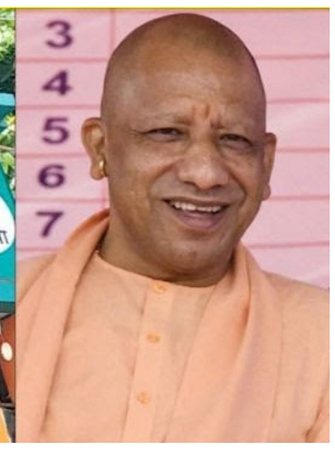

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल अभी से गरमाने लगा है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का बड़ा लक्ष्य सामने रखा। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ध्वजारोहण कर कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाजपा 2027 में जीत की हैट्रिक लगाएगी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मपाल सिंह सहित कई प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यक्रम का माहौल पूरी तरह से संगठनात्मक ऊर्जा और वैचारिक प्रतिबद्धता से भरा हुआ था। भारत माता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसने पार्टी की वैचारिक जड़ों और इतिहास की याद दिलाई। अपने संबोधन में पंकज चौधरी ने भाजपा को "विश्व का सबसे बड़ा सेवा संगठन" बताते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक सतत अभियान है, जिसमें हर कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार कार्यकर्ताओं की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है, और यही समर्पण आने वाले चुनाव में भी जीत सुनिश्चित करेगा। चौधरी ने 'डबल इंजन सरकार' की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य की समन्वित नीतियों के कारण विकास की गति तेज हुई है और जनता को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि भाजपा कार्यकर्ता केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि सालभर जनता के बीच रहकर सेवा और संवाद का कार्य करते हैं, जो पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है।

राजनीतिक बयानबाजी के बीच उन्होंने विपक्ष पर भी तीखा प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष की पुरानी आदत बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता के वास्तविक मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाता है, जबकि सच्चाई यह है कि जनता भाजपा की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। साथ ही उन्होंने 2017 से पहले की कानून-व्यवस्था की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश की जनता उस दौर को नहीं भूली है और दोबारा "गुंडाराज" की वापसी नहीं चाहती।

पंचायत चुनाव के मुद्दे पर उन्होंने संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि यह पूरी तरह निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, जबकि राज्य सरकार अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए चौधरी ने आरोप लगाया कि पार्टी आज भी जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर समाज को विभाजित करने की राजनीति करती है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के हालिया बयानों की आलोचना करते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति देशहित के बजाय केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित है।

इस अवसर पर धर्मपाल सिंह ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा की विचारधारा को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य देश और समाज का समग्र विकास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे इस विचारधारा को गांव-गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि पार्टी का जनाधार और मजबूत हो सके।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संजय राय, पूर्व मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी चुनावों में जीत के संकल्प को दोहराया।

कुल मिलाकर, भाजपा के स्थापना दिवस का यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि यह 2027 के चुनावी रण की शुरुआती रणनीतिक झलक भी बनकर उभरा। जिस तरह से पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के साथ-साथ विपक्ष पर हमला बोला, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक तीखी और दिलचस्प होने वाली है।

आर्थिक अभाव नहीं बनेगा इलाज में बाधा, 'इस्टीमेट लाएं—सरकार कराएगी उपचार': योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे किसी भी जरूरतमंद के इलाज में अब आर्थिक तंगी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि मरीज यदि किसी उच्चीकृत अस्पताल से उपचार का इस्टीमेट प्रस्तुत करते हैं, तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उनके इलाज के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब महंगे इलाज के कारण बड़ी संख्या में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार मुश्किलों का सामना करते हैं।

सोमवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनीं। हर फरियादी की बात ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों का त्वरित, पारदर्शी और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि प्रशासन की पहली जिम्मेदारी पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि चिकित्सकीय सहायता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी आवेदन लंबित हैं, उन्हें शीघ्रातिशीघ्र निस्तारित किया जाए, ताकि जरूरतमंदों को समय पर इलाज मिल सके। उनका यह भी कहना था कि प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना प्रशासन की जिम्मेदारी है, ताकि मरीजों और उनके परिजनों को अनावश्यक दौड़-भाग न करनी पड़े।

जनता दर्शन के दौरान एक कैंसर पीड़ित मरीज के परिजन ने आर्थिक सहायता की गुहार लगाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल आश्वासन दिया कि अस्पताल से इस्टीमेट मिलते ही उपचार का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। इस उदाहरण के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सरकार केवल घोषणाएं नहीं कर रही, बल्कि जमीनी स्तर पर जरूरतमंदों की मदद के लिए सक्रिय है।

सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि अन्य सामाजिक जरूरतों पर भी मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई। एक छात्रा, जिसकी पढ़ाई आर्थिक तंगी के कारण बाधित हो रही थी, के मामले में उन्होंने अधिकारियों को तुरंत उसकी फीस जमा कराने के निर्देश दिए। इसी तरह सिद्धार्थनगर से आई एक महिला को पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि हर आवेदन को गंभीरता से लिया जाए और उसकी निगरानी की जाए, ताकि समाधान केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे। मुख्यमंत्री का यह रुख यह दर्शाता है कि सरकार प्रशासनिक जवाबदेही और जनसेवा को लेकर सख्त और स्पष्ट है।

कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री का यह संदेश न केवल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर राहत देने वाला है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जनता दर्शन जैसे मंच के जरिए सीधे संवाद और त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया ने आम लोगों में भरोसा बढ़ाया है कि उनकी समस्याओं का समाधान अब पहले से अधिक तेजी और संवेदनशीलता के साथ किया जा रहा है।

लखनऊ मेट्रो में सनसनी: महिला के बैग से मिले 53 कारतूस, चेकिंग में खुला बड़ा मामला

उत्तर प्रदेश की राजधानी Lucknow में उस वक्त हड़कंप मच गया जब Badshah Nagar Metro Station पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला के बैग से बड़ी संख्या में कारतूस बरामद हुए। यह घटना न केवल मेट्रो सुरक्षा व्यवस्था की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि आम यात्रियों के बीच भी दहशत और सवाल पैदा करती है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गोला-बारूद लेकर कोई सार्वजनिक स्थान तक कैसे पहुंच गया। जानकारी के अनुसार, मेट्रो स्टेशन पर तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा बैग की जांच एक्स-रे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम (XBIS) के माध्यम से की जा रही थी। इसी दौरान स्क्रीन पर बैग के अंदर संदिग्ध वस्तु दिखाई दी, जो कारतूस जैसी लग रही थी। तुरंत सतर्कता दिखाते हुए सुरक्षा कर्मियों ने महिला को रोक लिया और स्थानीय पुलिस को सूचना दी।

मौके पर पहुंची Uttar Pradesh Police की टीम ने जब बैग की तलाशी ली, तो उसमें से कुल 53 कारतूस बरामद हुए। इनमें 303 बोर के 35 और 9 एमएम के 18 कारतूस शामिल थे। इसके अलावा बैग से 9 एमएम के 9 खोखे और 303 बोर का एक खोखा भी मिला। इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस मिलने से पुलिस भी हैरान रह गई और तुरंत महिला को हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ में महिला की पहचान कानपुर जिले के तिवारीपुर (साढ़ क्षेत्र) निवासी प्रतिभा पाल के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में महिला ने दावा किया कि उसके घर में लाइसेंसी बंदूक है और यह कारतूस उसी से संबंधित हैं, जो गलती से बैग में रह गए। हालांकि, पुलिस इस दावे की सत्यता की जांच कर रही है, क्योंकि प्रतिबंधित 9 एमएम कारतूस का मिलना मामले को और गंभीर बना देता है।

महानगर थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर अखिलेश मिश्रा के अनुसार, महिला रविवार को अपने घर कानपुर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पहुंची थी। उसका इरादा Alambagh Bus Stand जाकर वहां से बस पकड़ने का था। लेकिन इससे पहले ही सुरक्षा जांच में पूरा मामला सामने आ गया।

घटना के बाद पुलिस ने महिला को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया और बरामद सभी कारतूसों को जब्त कर लिया है। फिलहाल महिला को जेल भेज दिया गया है और उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षा की अहमियत को उजागर कर दिया है। अगर मेट्रो स्टेशन पर तैनात सुरक्षाकर्मी थोड़ी भी लापरवाही बरतते, तो यह मामला गंभीर सुरक्षा खतरे में बदल सकता था। यह भी स्पष्ट हुआ कि आधुनिक तकनीक जैसे एक्स-रे स्कैनिंग सिस्टम किस तरह संभावित खतरों को समय रहते पकड़ने में सक्षम हैं।

साथ ही यह घटना लोगों के लिए भी एक चेतावनी है कि वे यात्रा के दौरान अपने सामान की पूरी जांच करें, खासकर अगर घर में लाइसेंसी हथियार या उससे संबंधित सामग्री हो। एक छोटी सी लापरवाही न केवल कानूनी परेशानी खड़ी कर सकती है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा बन सकती है।

फिलहाल पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है—क्या यह केवल लापरवाही थी या इसके पीछे कोई और उद्देश्य छिपा है। जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का इंतजार खत्म, 8 दिन बाद खुलेंगे रफ्तार के नए दरवाजे—ढाई घंटे में पूरा होगा सफर

नई दिल्ली/देहरादून। उत्तर भारत के लाखों यात्रियों के लिए बहुप्रतीक्षित राहत की खबर अब हकीकत बनने जा रही है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रस्तावित है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर से हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही दिल्ली से देहरादून तक का करीब 210 किलोमीटर लंबा सफर महज ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जो अभी तक ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी के कारण 5 से 6 घंटे तक खिंच जाता था। यह परियोजना न केवल यात्रा समय को आधा कर देगी, बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति देगी।

यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए सीधे देहरादून तक पहुंचता है। अभी तक दिल्ली और गाजियाबाद के लोगों को देहरादून जाने के लिए मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार के पारंपरिक मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था, जहां अक्सर भारी जाम और देरी आम बात थी। नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने से यह पूरी परेशानी खत्म हो जाएगी और यात्रियों को एक सुगम, तेज और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा।

इस परियोजना की सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टी-लेयर कनेक्टिविटी है, जिसने इसे एक साधारण सड़क परियोजना से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बना दिया है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जबकि यही एक्सप्रेसवे आगे गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होता है। इस तरह तीन बड़े एक्सप्रेसवे का आपसी नेटवर्क तैयार हो गया है, जिससे गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को सीधा और तेज कनेक्शन मिलेगा।

गाजियाबाद के निवासियों के लिए इस एक्सप्रेसवे तक पहुंचना बेहद आसान बना दिया गया है। वे लोनी के रास्ते सीधे एक्सप्रेसवे पर चढ़ सकते हैं या फिर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हुए खेकड़ा (मवीकला गांव) के पास से इसमें प्रवेश कर सकते हैं। इस बेहतर एक्सेस के कारण दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को अब लंबा घुमावदार रास्ता नहीं लेना पड़ेगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। जहां एक ओर यह एक्सप्रेसवे सुविधा और रफ्तार का नया अनुभव देगा, वहीं यात्रियों को टोल के रूप में इसकी कीमत भी चुकानी होगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार, दिल्ली से देहरादून तक कार से यात्रा करने पर लगभग 675 रुपये का टोल देना होगा। अगर कोई यात्री 24 घंटे के भीतर वापसी करता है, तो कुल टोल 1010 रुपये होगा। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि समय की बचत, ईंधन की कम खपत और यात्रा की सुविधा को देखते हुए यह लागत यात्रियों के लिए संतुलित और उचित मानी जा सकती है।

परियोजना के तहत कुछ हिस्से पहले ही चालू किए जा चुके हैं, जिनमें दिल्ली से लोनी और लोनी से बागपत तक के खंड शामिल हैं। अब सहारनपुर में प्रस्तावित उद्घाटन कार्यक्रम के साथ पूरा एक्सप्रेसवे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दिल्ली और उत्तराखंड के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी तेज होंगी। यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की नई पहचान बनने जा रहा है। इसके शुरू होने से देहरादून, मसूरी और आसपास के पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही, दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए वीकेंड ट्रैवल और भी सुविधाजनक और आकर्षक बन जाएगा।

कुल मिलाकर, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, जो न केवल यात्रा को तेज और आसान बनाएगा, बल्कि क्षेत्रीय विकास, रोजगार और कनेक्टिविटी के नए अवसर भी खोलेगा। आने वाले दिनों में यह एक्सप्रेसवे उत्तर भारत की जीवनरेखा के रूप में उभर सकता है।

जब पिता ही बन गया काल: मासूम की चीखों में दब गई इंसानियत, मध्य प्रदेश से दिल दहला देने

मध्य प्रदेश के Chhatarpur जिले के बमनौरा थाना क्षेत्र से एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों, संवेदनाओं और इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जिस पिता के कंधों पर अपने बच्चे की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी होती है, वही पिता अपने चार साल के मासूम बेटे की मौत का कारण बन गया। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के भीतर पनप रही हिंसा, नशे और टूटते पारिवारिक मूल्यों की एक भयावह तस्वीर है। जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता लखन सिंह नशे की हालत में घर पहुंचा था। घर में किसी बात को लेकर उसकी पत्नी से बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से और नशे के प्रभाव में उसने अपनी पत्नी पर लाठी-डंडों से हमला करना शुरू कर दिया। घर के भीतर का माहौल चीखों और डर से भर गया था, लेकिन इस भयावह स्थिति में एक चार साल का मासूम अपने छोटे-से साहस के साथ सामने आया।

अपनी मां को पिटते देख वह मासूम बीच में कूद पड़ा। वह शायद यह नहीं जानता था कि जिस पिता को वह रोकने की कोशिश कर रहा है, वही उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मासूम ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, लेकिन नशे में चूर पिता के भीतर की संवेदनाएं मर चुकी थीं। उसने उसी डंडे से अपने बेटे पर भी हमला कर दिया।

इस हमले में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका छोटा-सा शरीर इस क्रूरता को सह नहीं पाया। खून से लथपथ हालत में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एक मासूम जिंदगी, जो अभी दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाई थी, हमेशा के लिए खत्म हो गई।

घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। गांव के लोग स्तब्ध हैं कि आखिर एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। परिवार में मातम पसरा हुआ है—एक मां ने अपने बच्चे को खो दिया और एक बच्चा अपने ही पिता की हिंसा का शिकार बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी लखन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि घटना के समय आरोपी नशे में था, जिसने उसकी सोचने-समझने की क्षमता को खत्म कर दिया था और वह हिंसक हो गया।

यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक संकेत भी है। नशे की लत, घरेलू हिंसा और गुस्से पर नियंत्रण न होना—ये तीनों मिलकर किस तरह एक खुशहाल परिवार को तबाह कर सकते हैं, इसका यह सबसे भयावह उदाहरण है।

समाज के लिए यह एक चेतावनी है कि घरेलू हिंसा को "परिवार का निजी मामला" समझकर नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर समय रहते ऐसे मामलों पर ध्यान दिया जाए, संवाद और समझदारी से हल निकाला जाए, तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

एक मासूम की मौत ने यह सवाल छोड़ दिया है—क्या हम अपने घरों को सच में सुरक्षित बना पा रहे हैं? या फिर हमारे ही बीच ऐसी खामोश हिंसा पल रही है, जो किसी भी दिन एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकती है।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com* navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक का बड़ा खुलासा, रेकी से लेकर स्पीकर की कार तक पहुंचा आरोपी—मिनटों में अंजाम दी वारदात

नई दिल्ली। राजधानी की सबसे संवेदनशील इमारतों में से एक दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर उस वक्त गंभीर सवाल खड़े हो गए, जब एक आरोपी ने सुनियोजित तरीके से पूरे सुरक्षा घेरे को भेदते हुए सीधे स्पीकर की गाड़ी तक पहुंच बना ली। जांच में सामने आया है कि यह कोई अचानक की गई हरकत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे पहले से की गई रेकी और पूरी योजना शामिल थी। घटना ने न केवल सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया है, बल्कि वीवीआईपी सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी बहस छेड़ दी है।

सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने वारदात से पहले विधानसभा परिसर की बारीकी से रेकी की थी। उसे स्पीकर की गतिविधियों, उनके आने-जाने के समय और सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी थी। यही वजह रही कि उसने बेहद सटीक टाइमिंग के साथ घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि उसने महज 5 से 10 मिनट के भीतर पूरी कार्रवाई पूरी कर ली और वहां से निकलने में भी सफल रहा।

घटना के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी गेट नंबर 2 को तोड़कर अंदर घुसा और सीधे स्पीकर की कार तक पहुंच गया। वह करीब दो मिनट तक कार के अंदर मौजूद रहा। उसके पास एक गुलदस्ता और फूलों की माला थी, जिसे उसने गाड़ी में रखा। साथ ही उसके पास एक बैग भी था, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस बैग में क्या था और उसका उद्देश्य क्या था।

इस पूरी घटना की टाइमलाइन बेहद अहम मानी जा रही है, जो यह दिखाती है कि किस तरह कुछ ही मिनटों में सुरक्षा में सेंध लगाई गई—

▶▶1:32 PM: विधानसभा स्पीकर सदन पहुंचे और एजुकेशन विभाग के कार्यालय गए

▶▶1:52 PM: लगभग 20 मिनट बाद स्पीकर अधिकारियों के साथ परिसर में लौटे

▶▶2:06 PM: स्पीकर अपने कार्यालय में पहुंचे

▶▶2:10 PM: आरोपी गाड़ी लेकर गेट तोड़कर परिसर में दाखिल हुआ, स्पीकर की कार तक पहुंचा, अंदर बैठा, गुलदस्ता रखा और वहां से फरार हो गया

इस घटनाक्रम से यह साफ होता है कि आरोपी को स्पीकर की मूवमेंट की सटीक जानकारी थी और उसने उसी के अनुसार अपनी योजना बनाई। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कोई व्यक्ति इस तरह अंदर प्रवेश कैसे कर सका। फिलहाल दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की गहन जांच में जुटी हुई हैं। ड्राइवर सरबजीत समेत तीन संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस घटना के पीछे असली मकसद क्या था और क्या इसमें किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आरोपी का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक था या इसके पीछे कोई गंभीर साजिश थी।

घटना के बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को तुरंत और सख्त कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार, अब मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने की योजना पर काम किया जा रहा है, जिसमें एंट्री पॉइंट्स की संख्या सीमित करना, हाई-टेक सर्विलांस, और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा घेरा शामिल हो सकता है। साथ ही, सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा कर कमजोर कड़ियों की पहचान की जा रही है।

यह घटना केवल एक सुरक्षा चूक नहीं, बल्कि एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखी जा रही है। जिस तरह से आरोपी ने पहले रेकी की, फिर सही समय का इंतजार किया और आखिरकार बिना ज्यादा समय गंवाए पूरी वारदात को अंजाम दिया, उससे साफ है कि सुरक्षा में मौजूद छोटी-छोटी खामियां भी बड़े खतरे का कारण बन सकती हैं।

कुल मिलाकर, दिल्ली विधानसभा की इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे संवेदनशील सरकारी संस्थान वास्तव में उतने सुरक्षित हैं, जितना माना जाता है। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे और सुरक्षा सुधार के कदम यह तय करेंगे कि इस चूक से क्या सबक लिया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाएगा।

जग्गी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला: दो दशकों बाद इंसाफ, अमित जोगी को उम्रकैद

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति और न्यायिक इतिहास में लंबे समय से चर्चा का केंद्र बने बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में आखिरकार न्याय की निर्णायक घड़ी आ ही गई। लगभग 20 वर्षों तक चले कानूनी संघर्ष, जांच और बहसों के बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अमित जोगी को दोषी ठहराया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध सिद्ध मानते हुए यह सजा दी, साथ ही 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त छह महीने का कारावास भुगतना होगा।

यह फैसला केवल एक व्यक्ति की सजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस पूरे न्यायिक संघर्ष का प्रतीक है, जिसमें एक परिवार ने वर्षों तक न्याय पाने के लिए लड़ाई लड़ी। रामावतार जग्गी की 2003 में हुई हत्या ने उस समय पूरे राज्य को हिला दिया था। रायपुर में दिनदहाड़े हुई इस हत्या ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के खतरनाक रूप को भी उजागर किया था।

4 जून 2003 का वह दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक काले अध्याय की तरह दर्ज है, जब एनसीपी नेता रामावतार जग्गी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआती जांच राज्य पुलिस ने की, लेकिन जल्द ही इस पर पक्षपात के आरोप लगने लगे। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया गया। सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद इस हत्याकांड को एक सुनियोजित साजिश करार दिया और अमित जोगी सहित कई लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।

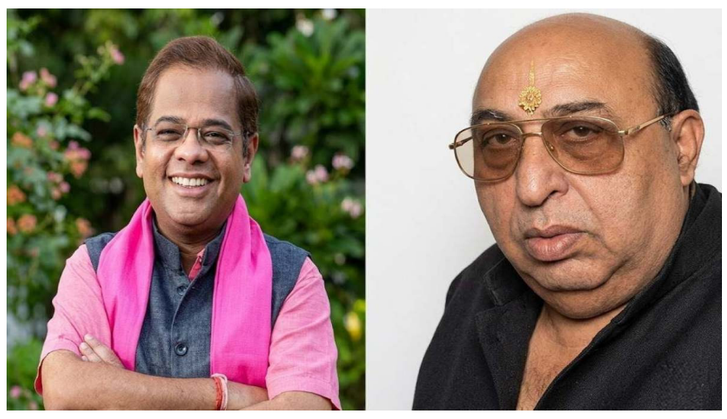

इस केस में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से दो सरकारी गवाह बन गए। निचली अदालत ने 28 आरोपितों को दोषी ठहराया, लेकिन 2007 में विशेष अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए अमित जोगी को बरी कर दिया। यही वह मोड़ था, जहां से इस मामले ने एक नया कानूनी रास्ता पकड़ा। मृतक के पुत्र सतीश जग्गी ने इस फैसले को चुनौती दी और न्याय की तलाश में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

उच्चतम न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया। इसके बाद छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद वर्मा की खंडपीठ ने इस केस की गहन सुनवाई की। अदालत ने न केवल प्रत्यक्ष साक्ष्यों पर विचार किया, बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को भी विस्तार से परखा।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि जब एक ही अपराध में कई लोग शामिल हों और उनके खिलाफ साक्ष्य समान प्रकृति के हों, तो न्यायालय को सभी के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह टिप्पणी इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पहले अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग निर्णय सामने आए थे। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह स्थापित करने की कोशिश की कि यह हत्या कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश का परिणाम थी। उन्होंने तर्क दिया कि घटनाओं की कड़ी, आरोपी की भूमिका और परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलकर एक मजबूत केस बनाते हैं। उच्च न्यायालय ने इन तर्कों को स्वीकार करते हुए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन किया और अंततः अमित जोगी को दोषी करार दिया।

इस फैसले का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी व्यापक माना जा रहा है। यह निर्णय यह संदेश देता है कि चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों न हो, और चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, न्याय अंततः अपना रास्ता बना ही लेता है। यह उन तमाम मामलों के लिए भी एक मिसाल है, जहां लंबे समय तक न्याय की प्रतीक्षा की जाती है। जग्गी हत्याकांड का यह फैसला केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था की दृढ़ता और निष्पक्षता का प्रमाण है। यह दिखाता है कि न्यायिक प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन जब साक्ष्य मजबूत हों और पीड़ित पक्ष लगातार संघर्ष करता रहे, तो अंततः सच सामने आता ही है। छत्तीसगढ़ की जनता और देशभर के लोगों के लिए यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है—न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन न्याय से इनकार नहीं।

सैफी हत्याकांड में कड़ा फैसला: तीन दोषियों को फांसी 40 लाख के विवाद ने ली युवा अधिवक्ता की जान

मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित समीर सैफी अपहरण एवं हत्या प्रकरण में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मुजफ्फरनगर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने इस जघन्य अपराध में शामिल तीन दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई, जबकि एक अन्य आरोपी को सात वर्ष के कारावास से दंडित किया गया। अदालत के इस फैसले ने न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया, बल्कि समाज में यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि सुनियोजित अपराध और विश्वासघात की सजा अत्यंत कठोर हो सकती है।

यह पूरा मामला 28 वर्षीय युवा अधिवक्ता समीर सैफी के अपहरण और हत्या से जुड़ा है, जिसने वर्ष 2019 में पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। 15 अक्टूबर 2019 को समीर सैफी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। शुरुआत में यह एक सामान्य गुमशुदगी का मामला प्रतीत हुआ, लेकिन चार दिन बाद 19 अक्टूबर को भोपा क्षेत्र के सीकरी गांव में उनका शव बरामद होने के बाद यह मामला एक भयावह हत्याकांड में बदल गया।

जांच के दौरान पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सामने आया कि यह हत्या किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम नहीं, बल्कि 40 लाख रुपये के लेन-देन के विवाद से उपजी एक सुनियोजित साजिश थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपियों ने पहले समीर सैफी को धोखे से अपनी कार में बैठाया, फिर उन्हें अगवा कर सीकरी स्थित एक फार्महाउस में ले गए। वहां बेरहमी से रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई और बाद में शव को मिट्टी में दबाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई।

इस मामले में वादी अजहर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच करते हुए चार आरोपियों—सोनू उर्फ रिजवान, सिंगोल अल्वी, शालू उर्फ अरबाज और दिनेश—को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत में चली सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह महत्वपूर्ण गवाह पेश किए, जिनकी गवाही और प्रस्तुत साक्ष्यों ने पूरे घटनाक्रम को स्पष्ट रूप से सामने रख दिया।

पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीन आरोपियों—सोनू उर्फ रिजवान, सिंगोल अल्वी और शालू उर्फ अरबाज—को अपहरण, हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर अपराधों का दोषी पाया। अदालत ने इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई, जो भारतीय न्याय प्रणाली में सबसे कठोर दंड माना जाता है। वहीं, चौथे आरोपी दिनेश को केवल साक्ष्य नष्ट करने का दोषी मानते हुए सात वर्ष के कारावास की सजा दी गई।

मामले की एक बेहद भावनात्मक और विडंबनापूर्ण पहलू यह भी रहा कि जिस दिन समीर सैफी का अपहरण हुआ, उसी दिन उन्होंने कचहरी में अपने नए चैंबर का उद्घाटन किया था। एक युवा वकील के रूप में वह अपने करियर की नई शुरुआत कर रहे थे, लेकिन उसी दिन उनकी जिंदगी एक साजिश का शिकार बन गई।

अदालत का यह फैसला समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करता है। यह दर्शाता है कि भले ही अपराध कितना भी योजनाबद्ध क्यों न हो, लेकिन मजबूत जांच, ठोस साक्ष्य और प्रभावी अभियोजन के जरिए अपराधियों को सजा दिलाई जा सकती है। साथ ही यह निर्णय उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है, जो आर्थिक विवादों या निजी स्वार्थ के चलते अपराध का रास्ता अपनाते हैं।

समीर सैफी हत्याकांड का यह फैसला न केवल एक परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भी साबित करता है कि न्यायपालिका अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर कायम है। यह मामला आने वाले समय में एक मिसाल के रूप में याद किया जाएगा, जहां कानून ने पूरी सख्ती के साथ अपना काम किया और निर्दोष की जान लेने वालों को उनके अपराध की सबसे बड़ी सजा दी।

एयरपोर्ट जैसा बनेगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन: 5 किमी एलिवेटेड रोड, 21 मंजिला टावर और अत्याधुनिक सुविधाओं से बदलेगी पहचान

नई दिल्ली। देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अब एक ऐतिहासिक बदलाव की ओर बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में यह स्टेशन केवल एक ट्रांजिट प्वाइंट नहीं, बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विश्वस्तरीय सुविधाओं का प्रतीक बनकर उभरेगा। पुनर्विकास योजना के तहत यहां ऐसा ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा अनुभव देगा और राजधानी की पहचान को नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा।इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत स्टेशन के मौजूदा क्षेत्रफल को लगभग छह गुना बढ़ाकर 17,274 वर्ग मीटर से 1,09,040 वर्ग मीटर तक विस्तारित किया जाएगा। यह विस्तार न केवल ढांचागत विकास को गति देगा, बल्कि बढ़ती यात्री संख्या को संभालने में भी मददगार साबित होगा। वर्तमान में जहां प्रतिदिन करीब 4.5 लाख यात्री इस स्टेशन का उपयोग करते हैं, वहीं भविष्य में यह संख्या बढ़कर लगभग 7 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।

इस प्रोजेक्ट का सबसे आकर्षक और महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड है, जिसे जमीन से करीब 10 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा। यह एलिवेटेड मार्ग यात्रियों को सीधे स्टेशन के एंट्री गेट तक पहुंचाएगा, जिससे आसपास के व्यस्त इलाकों—खासतौर पर कनॉट प्लेस और अन्य प्रमुख मार्गों—पर ट्रैफिक दबाव काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही स्टेशन के दोनों ओर 30 मीटर चौड़े और करीब 300 मीटर लंबे एयरपोर्ट स्टाइल एप्रन तैयार किए जाएंगे, जहां वाहनों के लिए व्यवस्थित ड्रॉप-ऑफ और पिक-अप की सुविधा उपलब्ध होगी।

पुनर्विकास योजना में स्टेशन के दोनों प्रमुख हिस्सों—पहाड़गंज और अजमेरी गेट—को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहां 300 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी विशाल इमारतों का निर्माण होगा, जिनमें डबल बेसमेंट पार्किंग, आधुनिक वेटिंग एरिया, रिटेल स्पेस और यात्रियों के लिए हर जरूरी सुविधा मौजूद होगी। पार्किंग व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जहां मौजूदा 373 वाहनों की क्षमता बढ़कर लगभग 2,100 ईसीएस (Equivalent Car Space) तक पहुंच जाएगी।

इस परियोजना की एक और खासियत है 21 मंजिला आइकॉनिक टावर, जो स्टेशन के दोनों ओर बनाए जाएंगे। ये टावर न केवल उपयोगिता के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे, बल्कि दिल्ली की स्काईलाइन को भी एक नया और आधुनिक रूप देंगे। इससे राजधानी के शहरी परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

यात्रियों को एयरपोर्ट जैसा अनुभव देने के लिए ट्रैक के ऊपर एक विशाल एयर कॉनकोर्स का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर होगी। यह कॉनकोर्स पूरे स्टेशन को एकीकृत करेगा, जहां से यात्री आसानी से विभिन्न प्लेटफार्म तक पहुंच सकेंगे। इसमें आरामदायक वेटिंग एरिया, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट और बेहतर भीड़ प्रबंधन की आधुनिक व्यवस्था शामिल होगी।

पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि यात्री सुविधा, यातायात प्रबंधन और आधुनिक शहरी विकास को एक साथ जोड़ना है। यह योजना भारतीय रेल के उस विजन का हिस्सा है, जिसमें देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का यह कायाकल्प राजधानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा देगा। यह न केवल यात्रियों के सफर को आसान और सुविधाजनक बनाएगा, बल्कि दिल्ली को एक आधुनिक, स्मार्ट और वैश्विक शहर के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगा।

राहुल गांधी मानहानि केस में सुनवाई टली: वॉयस सैंपल की फॉरेंसिक जांच पर बढ़ा कानूनी विवाद, 17 अप्रैल को अगली तारीख

सुलतानपुर। भारतीय राजनीति और न्यायपालिका के संगम पर खड़ा एक बहुचर्चित मामला इन दिनों फिर सुर्खियों में है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़ा मानहानि प्रकरण एक बार फिर टल गया, लेकिन इस बार वजह सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि कानून, अधिकार और तकनीक के टकराव की एक जटिल परत है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से शुरू हुआ यह मामला अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह इस सवाल तक पहुंच गया है कि किसी व्यक्ति की आवाज को सबूत के तौर पर किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है।

सुलतानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत में चल रही इस सुनवाई में सोमवार को एक बार फिर विराम लग गया, जब परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने बिना देर किए अगली तारीख 17 अप्रैल तय कर दी, लेकिन इस स्थगन के पीछे जो कानूनी बहस चल रही है, वह कहीं ज्यादा गहरी और दूरगामी असर वाली है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम और विवादास्पद पहलू है वॉयस सैंपल की फॉरेंसिक जांच। भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से अदालत में यह अर्जी दी गई कि राहुल गांधी के वॉयस सैंपल को रिकॉर्ड कर उसे उस कथित बयान से मिलाया जाए, जो 2018 में दिया गया था। यह मांग सीधे तौर पर साक्ष्य की प्रामाणिकता से जुड़ी है—क्या वह आवाज वास्तव में राहुल गांधी की ही है, या नहीं।

लेकिन यहीं से शुरू होता है कानूनी टकराव। राहुल गांधी के बचाव पक्ष के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने इस अर्जी का विरोध करते हुए इसे व्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार से जोड़ दिया है। उनका तर्क है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध वॉयस सैंपल देने के लिए बाध्य करना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। यह दलील केवल इस केस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के कई मामलों के लिए एक मिसाल बन सकती है।

इस मामले की जड़ें आठ साल पीछे, वर्ष 2018 में जाती हैं, जब बेंगलुरु में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। आरोप है कि उस बयान में अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। यही बयान बाद में मानहानि के मुकदमे का आधार बना और 4 अगस्त 2018 को विजय मिश्र ने अदालत में परिवाद दायर किया।

इसके बाद से यह मामला धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। 27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया, जो इस केस का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को उन्होंने अदालत में पेश होकर जमानत ली। समय के साथ-साथ केस ने कानूनी प्रक्रिया की हर सीढ़ी को पार किया और 20 फरवरी 2026 को उनका बयान भी दर्ज कर लिया गया। यह वह चरण था, जब लगा कि मामला अपने निष्कर्ष के करीब पहुंच रहा है, लेकिन वॉयस सैंपल की मांग ने एक नई बहस को जन्म दे दिया।

दरअसल, आधुनिक न्यायिक प्रणाली में फॉरेंसिक साक्ष्यों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। डीएनए, फिंगरप्रिंट और डिजिटल डेटा के बाद अब वॉयस सैंपल भी एक अहम साक्ष्य के रूप में उभर रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या किसी की आवाज को उसकी सहमति के बिना रिकॉर्ड करना या जांच के लिए लेना उचित है? और यदि अदालत इसकी अनुमति देती है, तो उसकी सीमाएं क्या होंगी?

इस केस में अदालत को केवल यह तय नहीं करना है कि राहुल गांधी ने वह टिप्पणी की या नहीं, बल्कि यह भी तय करना है कि साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया कितनी वैध और न्यायसंगत है। यही कारण है कि यह मामला अब केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं रहा, बल्कि यह संवैधानिक और विधिक सिद्धांतों की परीक्षा बन गया है।

सुलतानपुर की इस अदालत में चल रही सुनवाई पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि इसका असर भविष्य के कई मामलों पर पड़ सकता है। अगर अदालत वॉयस सैंपल की जांच को मंजूरी देती है, तो यह जांच एजेंसियों को एक नया औजार दे सकता है। वहीं, अगर इसे खारिज किया जाता है, तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार को और मजबूत करेगा। फिलहाल, 17 अप्रैल की अगली तारीख इस केस के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। उसी दिन यह स्पष्ट हो सकेगा कि अदालत इस कानूनी उलझन को किस दिशा में ले जाती है। तब तक यह मामला एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां राजनीति, कानून और तकनीक तीनों एक-दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं—और इस टकराव का परिणाम आने वाले समय में न्यायिक व्यवस्था की दिशा तय कर सकता है।

दिल्ली में जदयू का महामंथन: क्या बदलने वाला है बिहार का सत्ता समीकरण, नीतीश कुमार की भूमिका पर टिकी नजरें

पटना/नई दिल्ली। बिहार की सियासत एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है, जहां हर राजनीतिक हलचल के केंद्र में एक ही नाम है—नीतीश कुमार। जनता दल (यूनाइटेड) द्वारा 9 अप्रैल को दिल्ली में बुलाई गई शीर्ष स्तरीय बैठक ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। यह बैठक सामान्य संगठनात्मक समीक्षा भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व के पुनर्संतुलन और आने वाले समय की रणनीति तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम समझा जा रहा है।

जनता दल (यूनाइटेड) की यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार के संभावित इस्तीफे और उनकी नई भूमिका—खासतौर पर राज्यसभा में सक्रियता—को लेकर चर्चाएं तेज हैं। हालिया घटनाक्रम और राजनीतिक संकेत यह इशारा कर रहे हैं कि पार्टी अब एक बड़े बदलाव की जमीन तैयार कर रही है, लेकिन इस बदलाव को किस रूप में लागू किया जाएगा, यह अभी भी मंथन का विषय बना हुआ है।

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में होने वाली यह बैठक औपचारिकता से कहीं आगे बढ़कर एक रणनीतिक मंच का रूप ले चुकी है, जहां बिहार के राजनीतिक भविष्य का खाका तैयार किया जाएगा। इसमें न केवल संभावित नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होगी, बल्कि यह भी तय किया जाएगा कि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया किस तरह से शांतिपूर्वक और संतुलित तरीके से पूरी की जाए। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत कई प्रमुख चेहरे शामिल होंगे, जबकि खुद नीतीश कुमार इस पूरे मंथन की अगुवाई करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जदयू इस बार कोई जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय एक सुविचारित रणनीति के तहत आगे बढ़ना चाहती है। पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यदि नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो उससे न तो संगठनात्मक संतुलन बिगड़े और न ही गठबंधन की स्थिरता पर कोई असर पड़े। खासतौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के साथ जदयू के समीकरण को ध्यान में रखते हुए हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा है।

दरअसल, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की भूमिका केवल एक मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रही है। वे एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हैं, जो समय-समय पर राजनीतिक संतुलन बनाने और समीकरण बदलने में माहिर रहे हैं। ऐसे में उनका संभावित इस्तीफा केवल एक पद परिवर्तन नहीं, बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। अगर वे राज्यसभा की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो यह जदयू की राष्ट्रीय रणनीति को भी नया आयाम दे सकता है।

सूत्रों के मुताबिक, 10 अप्रैल को प्रस्तावित राज्यसभा शपथ से पहले पार्टी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देना चाहती है। इसी के तहत बिहार में भाजपा-जदयू गठबंधन सरकार की आगे की संरचना, मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल और नए नेतृत्व के तहत प्रशासनिक दिशा पर भी विस्तार से चर्चा होगी। यह भी माना जा रहा है कि संभावित उत्तराधिकारी के चयन में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ सहयोगी दलों की सहमति को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि सत्ता परिवर्तन के दौरान किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता न उत्पन्न हो। जदयू नेतृत्व इस बात को भलीभांति समझता है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का असर केवल सरकार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव प्रशासनिक व्यवस्था और जनता के विश्वास पर भी पड़ता है। इसलिए पार्टी हर कदम सोच-समझकर उठाना चाहती है।

इसके साथ ही, बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर जदयू की भूमिका को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में पार्टी यह तय करना चाहती है कि वह एनडीए के भीतर अपनी स्थिति को और मजबूत कैसे बनाए और आने वाले चुनावों में किस रणनीति के साथ मैदान में उतरे।

कुल मिलाकर, दिल्ली में होने वाली यह बैठक केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता और भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णायक क्षण बन सकती है। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं, और अगर हां, तो उनके उत्तराधिकारी के रूप में कौन उभरकर सामने आता है। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं, जहां हर फैसला दूरगामी असर डालने वाला होगा।

पश्चिम बंगाल SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 3 जजों का पैनल बनाने का निर्देश, वोटर लिस्ट पर आज बड़ा फैसला

नई दिल्ली। Supreme Court of India ने पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) विवाद को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए Calcutta High Court को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अपीलीय न्यायाधिकरणों के कामकाज को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए तीन पूर्व जजों का एक पैनल बनाया जाए, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी और मानकीकरण सुनिश्चित करे। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने साफ कहा कि जिस तरह की घटनाएं पहले पश्चिम बंगाल में सामने आई हैं, उन्हें देखते हुए केंद्रीय बलों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि राज्य की मशीनरी कहीं विफल होती है, तो स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह टिप्पणी राज्य में कानून-व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की सुरक्षा को लेकर कोर्ट की गंभीरता को दर्शाती है।

Election Commission of India ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के दावों और आपत्तियों पर तेजी से काम हो रहा है। अब तक 59.15 लाख से अधिक मामलों पर निर्णय लिया जा चुका है, जबकि कुल 60.06 लाख दावों पर विचार किया जाना है। आयोग ने भरोसा दिलाया कि बाकी बचे मामलों पर भी दिन के भीतर फैसला कर लिया जाएगा और शेष मतदाताओं की पूरक सूची आज रात तक जारी कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजे गए पत्र का भी उल्लेख किया, जिसमें दावों के निपटारे की प्रगति का विस्तृत विवरण दिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों के कामकाज को एक समान ढांचे में लाना जरूरी है, ताकि हर मामले में समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक अधिकारियों को जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा कि कुछ सार्वजनिक बयान माहौल को और अधिक तनावपूर्ण बना रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए खतरनाक संकेत हैं।

राजनीतिक मोर्चे पर भी यह मुद्दा गर्माया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के नेता Kalyan Banerjee ने इस प्रक्रिया को "बहिष्करण आयोग" तक करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जिन लोगों को 21 अप्रैल तक न्यायाधिकरण से मंजूरी मिल जाए, उन्हें मतदान का अधिकार दिया जाए। इस पर कोर्ट ने फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया, लेकिन मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तय की है।

पृष्ठभूमि में देखें तो SIR प्रक्रिया Election Commission of India द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची को अपडेट और सत्यापित करने के लिए शुरू की गई है। नवंबर 2025 से अब तक करीब 63.66 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं, जबकि 60 लाख से अधिक मामलों पर अभी भी विचार चल रहा है। इस बड़े पैमाने पर हो रही कार्रवाई को लेकर कई कानूनी चुनौतियां भी सामने आई हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee की याचिका भी शामिल है।

कुल मिलाकर, यह मामला अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि न्यायिक निगरानी, राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और सुरक्षा चिंताओं के बीच एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्देशों से यह साफ है कि वह इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने के पक्ष में है, ताकि आने वाले चुनावों में लोकतंत्र की मूल भावना बरकरार रह सके।

बिहार में मौसम का बड़ा उलटफेर: 60 किमी/घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का डबल अटैक

पटना। गर्मी की दस्तक के बीच बिहार का मौसम अचानक करवट लेने जा रहा है और आने वाले 48 घंटे राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। बिहार में 7 अप्रैल से मौसम बिगड़ने की शुरुआत होगी, जो 8 अप्रैल को अपने चरम पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि तेज आंधी, बारिश, बिजली गिरने और कई इलाकों में ओलावृष्टि का एक साथ असर देखने को मिलेगा। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे पश्चिमी विक्षोभ और क्षेत्रीय चक्रवाती गतिविधियों का संयुक्त प्रभाव बताया जा रहा है, जो मौसम विभाग के अनुसार 8 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। यह रफ्तार सामान्य नहीं मानी जाती और इससे पेड़ गिरने, बिजली के खंभे टूटने और यातायात बाधित होने जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसी को देखते हुए विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है, जो संभावित खतरे की गंभीरता को दर्शाता है।

ऑरेंज अलर्ट के दायरे में आने वाले जिलों में अररिया, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में न केवल तेज आंधी और बारिश की संभावना है, बल्कि ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। खासकर गेहूं और सब्जियों की तैयार फसल पर इसका सीधा असर पड़ सकता है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है।

वहीं गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सारण, सीवान और वैशाली जैसे जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में तेज हवा और बारिश का असर तो रहेगा, लेकिन ओलावृष्टि की संभावना अपेक्षाकृत कम बताई गई है। इसके बावजूद बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। 7 अप्रैल को भी मौसम पूरी तरह सामान्य नहीं रहेगा। राज्य के अधिकांश हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान सबसे बड़ा खतरा आकाशीय बिजली का रहता है, जो हर साल कई जानें ले लेती है। ऐसे में लोगों को खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है।

इस मौसम परिवर्तन का असर तापमान पर भी साफ दिखाई देगा। जहां पिछले दिनों गर्मी तेजी से बढ़ रही थी, वहीं अब 8 अप्रैल को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है। पटना समेत दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पूर्व बिहार के हिस्सों में तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे हल्की ठंडक का एहसास होगा। हालांकि यह राहत अस्थायी होगी, क्योंकि मौसम साफ होते ही तापमान फिर तेजी से बढ़ेगा।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 अप्रैल तक आंधी-बारिश का यह सिलसिला जारी रह सकता है। इसके बाद 10 अप्रैल से धीरे-धीरे मौसम साफ होने लगेगा और 12 अप्रैल तक तापमान में तेज उछाल देखने को मिलेगा, जो 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी कुछ ही दिनों में लोग फिर से तेज गर्मी का सामना करेंगे।

यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि मौसम का मिजाज अब तेजी से बदल रहा है, जहां कुछ ही घंटों में गर्मी से ठंडक और फिर दोबारा गर्मी का चक्र देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन और आम लोगों दोनों के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किसानों को अपनी फसल बचाने के उपाय करने चाहिए, वहीं आम नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर, बिहार में आने वाले दो दिन मौसम के लिहाज से बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं, जहां प्रकृति का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। सावधानी ही इस समय सबसे बड़ा बचाव है।

यस बैंक में नई कमान: विनय मुरलीधर टोंसे ने संभाली एमडी सीईओ की जिम्मेदारी, बदलाव के दौर में नई उम्मीदों का आगाज़

नई दिल्ली। निजी बैंकिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत Vinay Muralidhar Tones ने Yes Bank के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) का पदभार संभाल लिया है। सोमवार को उन्होंने आधिकारिक रूप से यह जिम्मेदारी ग्रहण की, जिससे बैंक के नेतृत्व में एक नया अध्याय शुरू हो गया। उन्होंने यह पद Prashant Kumar की जगह लिया, जिनका विस्तारित कार्यकाल 5 अप्रैल को समाप्त हो गया। यह नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि यस बैंक के भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम कदम माना जा रहा है। टोंसे को तीन वर्षों के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, जो 6 अप्रैल से प्रभावी हो चुका है। हालांकि, यह नियुक्ति Reserve Bank of India (RBI) की अंतिम मंजूरी और बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है, जो औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा होती है।

विनय मुरलीधर टोंसे का बैंकिंग करियर बेहद समृद्ध और बहुआयामी रहा है। 35 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ उन्होंने भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में काम किया है। उनका अनुभव ट्रेजरी मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, इंटरनेशनल ऑपरेशंस और एसेट मैनेजमेंट जैसे विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह व्यापक अनुभव उन्हें न केवल एक सक्षम प्रशासक बनाता है, बल्कि एक दूरदर्शी रणनीतिकार के रूप में भी स्थापित करता है।

टोंसे का सबसे उल्लेखनीय कार्यकाल State Bank of India (SBI) के साथ जुड़ा रहा है, जहां उन्होंने प्रबंध निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। एसबीआई जैसे विशाल और जटिल संगठन में शीर्ष स्तर पर काम करने का अनुभव उन्हें संकट प्रबंधन, जोखिम नियंत्रण और विकास रणनीतियों को संतुलित करने की गहरी समझ देता है। यही अनुभव अब यस बैंक के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो यस बैंक ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। एक समय पर वित्तीय संकट और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों से जूझने के बाद बैंक ने धीरे-धीरे खुद को स्थिरता की ओर अग्रसर किया है। इस पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में Prashant Kumar की भूमिका काफी अहम रही, जिन्होंने बैंक को संकट से उबारने और भरोसा बहाल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब जब बैंक एक स्थिर आधार पर खड़ा है, तो अगला लक्ष्य विकास और विस्तार का है। यही वह मोड़ है जहां टोंसे की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वह बैंक को केवल स्थिरता तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उसे प्रतिस्पर्धी बाजार में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। टोंसे के नेतृत्व में बैंक की रणनीति में कई संभावित बदलाव देखने को मिल सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग, ग्राहक अनुभव में सुधार, जोखिम प्रबंधन को और मजबूत करना और नए उत्पादों की पेशकश जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा, कॉरपोरेट और रिटेल बैंकिंग के बीच संतुलन बनाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि टोंसे का संतुलित और व्यावहारिक दृष्टिकोण यस बैंक के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वह आक्रामक विस्तार के बजाय टिकाऊ विकास पर जोर देने के लिए जाने जाते हैं, जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में बेहद जरूरी है।

शेयर बाजार में जबरदस्त वापसी: सेंसेक्स 1478 अंक उछला, निफ्टी में भी मजबूत रिकवरी से लौटी निवेशकों की उम्मीद

नई दिल्ली। हफ्ते की शुरुआत घरेलू शेयर बाजार के लिए शानदार रही, जहां शुरुआती दबाव के बाद दूसरे सत्र में आई जोरदार खरीदारी ने पूरे बाजार का रुख बदल दिया। BSE Sensex और Nifty 50 दोनों ने दिन के निचले स्तर से जबरदस्त उछाल दर्ज करते हुए निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत कर दिया। सेंसेक्स जहां इंट्राडे में 1,478 अंकों से ज्यादा उछला, वहीं निफ्टी 50 ने भी 455 अंकों से अधिक की रिकवरी दिखाई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 787 अंकों की बढ़त के साथ 74,106.85 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 255 अंक चढ़कर 22,968.25 के स्तर पर पहुंच गया। दिन की शुरुआत हालांकि कमजोर रही थी, लेकिन जैसे-जैसे कारोबार आगे बढ़ा, बाजार में चौतरफा खरीदारी का माहौल बनता गया। विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए सामने आए शांति प्रस्तावों ने वैश्विक स्तर पर सकारात्मक संकेत दिए, जिसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। निवेशकों ने दूसरे सत्र में जमकर खरीदारी की, जिससे बाजार ने निचले स्तर से जोरदार वापसी की।

इस तेजी में सबसे बड़ा योगदान बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर का रहा। प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों के शेयरों में आई मजबूती ने पूरे बाजार को सहारा दिया। इसके अलावा रियल्टी सेक्टर में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी और मेटल सेक्टर भी हरे निशान में बंद हुए, जो बाजार की व्यापक मजबूती को दर्शाता है।

हालांकि, इस तेजी के बीच ऑयल एंड गैस सेक्टर दबाव में रहा। Reliance Industries और ONGC जैसे दिग्गज शेयरों में गिरावट दर्ज की गई, जिससे इस सेक्टर का इंडेक्स नीचे रहा। इसके अलावा मैक्स हेल्थकेयर, आयशर मोटर्स और जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे कुछ अन्य बड़े शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली।

दूसरी ओर, तेजी वाले शेयरों की बात करें तो Axis Bank, Adani Enterprises, टाइटन कंपनी, ट्रेंट और श्रीराम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स ने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया। इन शेयरों में आई तेजी ने बाजार की सकारात्मक धारणा को और मजबूत किया।

बाजार की इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा निवेशकों को हुआ। बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर लगभग 427.41 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति में करीब 5.04 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है।

व्यापक बाजार भी इस तेजी में पीछे नहीं रहा। मिडकैप इंडेक्स 1.52 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 1.29 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए। यह दर्शाता है कि बाजार की मजबूती केवल बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि छोटे और मध्यम वर्ग के शेयरों में भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है।

कारोबार के दौरान बीएसई में 4,500 से अधिक शेयरों में ट्रेडिंग हुई, जिनमें ज्यादातर शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इसी तरह एनएसई में भी बड़ी संख्या में शेयरों में तेजी देखने को मिली। यह संकेत देता है कि बाजार में व्यापक स्तर पर खरीदारी हुई और निवेशकों की भागीदारी मजबूत रही।

कुल मिलाकर, सोमवार का दिन शेयर बाजार के लिए उम्मीदों से भरा रहा। शुरुआती गिरावट के बाद जिस तरह से बाजार ने वापसी की, उसने यह संकेत दिया है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी मजबूत है। हालांकि, वैश्विक घटनाक्रम और सेक्टर-विशेष दबाव को देखते हुए आगे की चाल सतर्कता के साथ तय होगी, लेकिन फिलहाल बाजार की यह तेजी निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान जरूर लेकर आई है।